जिला–सीतामढ़ी।
न्यायालयः– अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी।

पंजीयन सं0–321/2016
सामान्य पंजी संख्या–321/2016
विचारण पंजी संख्या–1486/2024

उपस्थितिः– विवेक कुमार,
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,
पुपरी।

निर्णय, दिनांक– 07th अप्रैल, 2026

सरकार द्वारा विभा देवी, पति–उदय कुमार चौधरी, साकिन–वररी वेहटा, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढी। .....सूचिका।

बनाम्

01. पवन देवी, पति/पिता–सुनील चौधरी — अनुमानित उम्र....55 वर्ष
02. अविनाश चौधरी, पिता–अनिल चौधरी — अनुमानित उम्र....25 वर्ष
03. अनिल चौधरी, पिता–रामश्रेष्ठ चौधरी — अनुमानित उम्र....60 वर्ष
04. सुनिल चौधरी, पिता–रामश्रेष्ठ चौधरी — अनुमानित उम्र....58 वर्ष
सभी साकिन–वररी वेहटा, थाना–चोरौत, जिला–सीतामढ़ी।.....अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा– 147, 323, 324, 341, 504, 506 भा0द0वि0
अभियोजन की ओर सेः–विद्वान् अभि0पदा0 श्री उमेश कुमार
बचाव पक्ष की ओर सेः– श्री रामदयाल चौधरी, विद्वान् अधिवक्ता।

निर्णय

उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक–02.05.2018 को धारा–147, 323, 324, 341, 504, 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया–समझाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताये तथा वाद विचारण का दावा किये।

02. संक्षेप में, अभियोजन वाद यह है कि अभियुक्त अन्य लोगों के साथ मिलकर दिनांक 25.04.2016 को सूचिका विभा देवी, पति–उदय चौधरी, ग्राम–वररी वेहटा, थाना–चोरौत, जिला–सीतामढ़ी को पंचायत चुनाव में बोगस वोट गिराने का विरोध करने पर सूचिका, उनके पति एवं लड़का के साथ मारपीट किया था। इसी आधार पर पुपरी थाना कांड संख्या–81/2016 अंकित हुआ।

03. अनुसंधानोंपरांत् अनुसंधानकर्त्ता ने आरोप–पत्र न्यायालय में समर्पित किया तथा इस वाद में दिनांक 14.01.2018 को धारा–147, 323, 324, 341, 504, 506 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान् लिया गया। संज्ञानोंपरांत् अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग का सारांश सुनाया गया, तत्पश्चात् वाद साक्ष्य हेतु नियत रहा।

लगातार/–

04. साक्ष्योंपरांत् अभियुक्त का ब्यान धारा–313 दं. प्र. सं. के अंतर्गत अभिलिखित किया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताया तथा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय विन्दू यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–संगत संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में किसी भी साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

07. उभय पक्षों का बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में आरोप–पत्र में चार साक्षियों का नाम अंकित है, लेकिन अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षीत नहीं कराया गया है। इस वाद में अनुसंधानकर्ता जैसे महत्वपूर्ण साक्षी परिक्षीत नहीं हुए हैं। जबकि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–06.07.2018 से दिनांक–06.06.2025 तक का पर्याप्त समय अनेकों तिथियॉ देकर प्रदान किया गया है।

इस तरह उपरोक्त विवेचनोंपरांत् यह न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभिुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–संगत संदेहों से परे सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्त–01. पवन देवी 02. अविनाश चौधरी 03. अनिल चौधरी 04. सुनिल चौधरी को धारा–147, 323, 324, 341, 504, 506 भा0द0वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। उन्हें तथा उनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।
07.04.2026.

अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।
07.04.2026